न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 43/2015
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती भगवानी आत्मजा स्व. श्री भूराराम धर्मपत्नी श्री रोशनलाल, बावरी, गांव ओड़की, वर्तमान गांव सुरेशिया फतेहदीनवाला वार्ड नम्बर 42 तहसील व जिला हनुमानगढ,
2. श्रीमती रेशमी आत्मजा स्व. श्री भूराराम धर्मपत्नी श्री सोहनलाल, बावरी गांव ओड़की, वर्तमान गांव सुरेशिया फतेहदीनवाला वार्ड नम्बर 42 तहसील व जिला हनुमानगढ

...वादीगण

बनाम

1. नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम(मृत)
   1.1. श्रीमती सन्तोषदेवी धर्मपत्नी श्री नत्थूराम,
   1.2. श्रीमती मीना,
   1.3. सोनू,
   1.4. पूजा,
   1.5. विजय आत्मजन श्री नत्थूराम, बावरी, गांव ओड़की,
2. श्रीमती बन्नीदेवी उर्फ पन्नीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री भूराराम, बावरी, गांव ओड़की,
3. संतरो आत्मजा स्व. श्री भूराराम, धर्मपत्नी श्री महेन्द्रकुमार, बावरी, ओड़की,
4. मुख्तयारसिंह आत्मज श्री आत्मासिंह, मजहबी, चक 3 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
5. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री गुरचरणसिंह	(वादीगण)
	श्री राजकुमार नागपाल	(प्रतिवादी–1,2)
	श्री ओमप्रकाश बत्तरा	(प्रतिवादी–4)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–5)

दिनांक 07 फरवरी, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 35/29 मुरब्बा नबर 43 किला नम्बर 2/1 से किला नम्बर 9/1, किला नम्बर 12/1, किला नम्बर 14 एवं 15, किला नम्बर 17/1, किला नम्बर 18/1, किला नम्बर 22/2 एवं किला नम्बर 23/1 की कुल 2.404 हैक्टर एवं खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1, किला नम्बर 9/2 एवं किला नम्बर 10 की कुल 0.759 हैक्टर कुल 12.07 बीघा कृषि भूमि वादीगण के पिता स्व. श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को भारत–पाक विभाजन पर अवसर पर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

भगवानी देवी वगेरा जरिए आंधवणा

आवंटित की गयी. राजस्व अभिलेख नामान्तकरण संख्या 110 में गैर खातेदारी दर्ज है. वादीगण के पिता की मृत्योपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कुल 5 वारिसान हैं. इस प्रकार वादीगण का उक्त आवंटित कृषि भूमि में 2/5 हिस्सा बनता है. वादीगण विवाहित महिलाऐं हैं और प्रतिवादी संख्या 3 भी विवाहिता एवं महिला है. इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सन् 1986 में चुपचाप मृतक श्री भूराराम के स्वयं को वारिस होने का कथन कर श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे तत्कालीन जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 27 सितम्बर, 1986 को प्रेषित किये जाने पर प्रकरण संख्या 52/90 दर्ज किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बुलाये एवं सुने बिना ही दिनांक 11 अप्रेल, 1990 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत स्व. श्री भूराराम का वारिस घोषित किया गया. इस प्रकार आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एकपक्षीय होने तथा कूटरचित अभिलेख के आधार पर एवं झूठे बयान देकर करवाये जाने से न केवल प्रारम्भ से ही शून्य है बल्कि वादीगण के अधिकारों पर प्रारम्भ से ही निष्प्रावी है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990 नायब तहसीलदार, हिन्दूमलकोट से विधि विरूद्व एकपक्षीय नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जो कि शुरू से ही शून्य एवं वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है क्योंकि वादीगण को न ही बुलाया गया व न ही सुना गया. जबकि वादीगण मृतक श्री भूराराम की पुत्रियां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस हैं. प्रतिवादीगण द्वारा आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर गलत तौर पर खातेदारी सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 जारी करवा ली गयी तथा सन्द के आधार पर नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 गलत, एकपाक्षीय तौर पर दर्ज करवा लिया गया. आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990, नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 प्रारम्भ से ही शून्य एवं वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी है. वादीगण का 2/5 हिस्सा अपने पिता की उक्त भूमि में पिता की मृत्योपरान्त ही स्थापित हो गया तथा वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जो कि हिस्सा ठेका पर काश्त करवाती आ रही हैं. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा समस्त गलत एवं शून्य अभिलेखों का अनुचित लाभ उठकर उक्त कृषि भूमि में से 3.00 बीघा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1, 2/2, 9/2 एवं किला नम्बर 10 कुल 0.759 हैक्टर दर्ज है. उक्त बेचान स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 2/5 हिस्सा में से होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 5 का 2.404 हैक्टर में से उनका हिस्सा कम हो जाता है. उक्त समस्त कार्यवाही करने से पूर्व वादीगण को किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा न तो बुलाया गया व न ही सुना गया. अब वादीगण जब अपने नाम पर नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये राजस्व पटवारी से मिले तो यह पता चला कि भूमि का नामान्तकरण होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो चुकी है जो कि आदेश

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सन्द संख्या 3667 के आधार पर दर्ज की गयी है. जिस पर वादीगण द्वारा वकील से सम्पर्क कर कानूनी राय ली तथा दिनांक 11 मई, 2015 को दोनों नामान्तकरण की प्रतियां एवं दिनांक 13 मई, 2015 को जमाबन्दी की प्रतियां प्राप्त की जाकर निम्नलिखित आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा, विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है. वादीगण मृतक आवंटी श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम की हकीकी पुत्रियां हैं तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस हैं. मृतक की सम्पत्ति में उनका 2/5 हिस्सा बनता है. तथा चक 2 डी बडी के खाता संख्या 35/29 मुरब्बा नम्बर 43 की 2.404 हैक्टर में अपना हिस्सा घोषित करवाने की हर प्रकार से अधिकारिणी हैं. कब्जा उनका अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर चला आ रहा है तथा वह हिस्सा ठेका पर काश्त करवा रही हैं. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के विवाहित महिला होने का अनुचित लाभ उठाकर उनका हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा हड़पने की नीयत से मिली भगत कर कूटरचित अभिलेख बनवाकर, गलत बयान देकर न केवल आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 द्वारा स्वयं को वारिस घोषित करवाया गया बल्कि नामान्तकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990 दर्ज करा लिया गया. गलत खातेदारी सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 तथा सन्द के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 दर्ज करवाय गया. साथ ही, उक्त कृषि भूमि में से 3.00 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बिना खाता विभाजन करवाये किलावाईज विक्रय कर दी गयी. जबकि किलावाईज भूमि में भी वादीगण का हक व हिस्सा बनता है. इस प्रकार उपरोक्त समस्त आदेश नामान्तरकरण, बेचान, इन्द्राज जमाबन्दी अविधिक, विधि विरूद्व होने से वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी हैं. वादीगण इनको शून्य घोषित करवाते हुऐ अपने 2/5 हिस्सा की घोषणा करवाने, राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने तथा किलावाईज जो उनके हिस्सा में आये पर कब्जा स्थापित करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी हैं. उक्त कृषि भूमि डी.पी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवंटित की गयी थी, आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990, सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 डी.पी.एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी हुऐ जिनके आधार पर ही नामान्तकरण दर्ज किया गया, प्रारम्भ से ही शून्य है. डी.पी.एक्ट, 2005 री–पील हो चुका है. अतः कोई सक्षम न्यायालय अपील सुनने के लिये नहीं होने से वादपत्र लाना आवश्यक हो गया. वादीगण द्वारा बार बार प्रतिवादीगण से आग्रह किया गया कि वह उक्त चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 35/29 मुरब्बा नबर 43 किला नम्बर 2/1 से किला नम्बर 9/1, किला नम्बर 12/1, किला नम्बर 14 एवं 15, किला नम्बर 17/1, किला नम्बर 18/1, किला नम्बर 22/2 एवं किला नम्बर 23/1 की कुल 2.404 हैक्टर एवं खाता संख्या 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 1, किला नम्बर 9/2 एवं किला नम्बर 10 की कुल 0.759 हैक्टर कुल 12.07 बीघा कृषि भूमि जो वर्तमान में खाता संख्या 35/34 एवं खाता संख्या 54/86 दर्ज है, में वादीगण का 2/5 हिस्सा होना मानकर राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाये तथा खाता का विभाजन करवाकर वादीगण के हिस्सा की किलावाईज कृषि भूमि पर उनका कब्जा स्थापित करवाये,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

लगान, मामला कायम रकवाये तथा उनके हिस्सा में हस्तक्षेप करने, अन्य किसी को बंधक, विक्रय करने से निषिद्व रहे तथा आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990, नामान्तरकरण संख्या 110 एवं 120 एवं सनद संख्या 3667 को शुरू से ही अवैद्य, विधि विरूद्व होने का एवं वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी होना मान लेवें किन्तु वे टालमटोल करते हुऐ दिनांक 13 मई, 2015 को साफ इन्कार हो गये. यही वाद हेतुक विचाराधीन वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त हुआ. इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने पिता स्व. श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को आवंटित चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 66 वर्तमान 35/29 एवं खाता संख्या 54/86 की कुल 12.07 बीघा कृषि भूमि में वादीगण का अपने पिता की मृत्योपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस होने से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है, वादीगण के नाम से 2/5 हिस्सा घोषित कर अभिलेखों में दर्ज करने, उक्त कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्रकरण संख्या 52/90 में दिनांक 11 अप्रेल, 1990 को जारी आदेश, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 तथा इसके आधार पर करवाये गये राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज एवएं प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गयी 3.00 बीघा कृषि भूमि के तथाकथित विक्रय विलेख जो प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जा में है, को पेश करवाया जाकर शुरू से शून्य एवं विधि विरूद्व होने व वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी घोषित करने, चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 35/40 की 2.404 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है एवं खाता संख्या 54/86 की 0.759 हैक्टर जो प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर दर्ज है, कुल 12.07 हैक्टर में से वादीगण के 2/5 हिस्सा को किलावाईज वादीगण के नाम पर पृथक खाता कायम कर दर्ज करने मामला, लगान कायम करने एवं कब्जा इसी अनुसार स्थापित करने के साथ साथ प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने, बंधक, विक्रय तथा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, नामान्तरकरण संख्या 110, नामान्तरकरण संख्या 120, सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990, अपेण्डिक्स–16, एनेक्स्चर–I, एनेक्स्चर–II, एनेक्स्चर–III, प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी नोटिस ऑफ डिमाण्ड, जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.5, 2 एवं 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 19 अगस्त, 2015 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादीगण द्वारा विचाराधीन वादपत्र के बिन्दु संख्या 5 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

अप्रेल, 1990 के आदेशों के आधार पर गलत तौर पर खातेदारी सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 जारी करवा कर सन्द के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 दर्ज करवायी गयी है. बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त कृषि भूमि में से 3.00 बीघा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 श्री मुख्तयारसिंह को विक्रय कर दिया गया है जिसमें नाम पर खाता संख्या 34/86 मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1, 2/2, 9/2 एवं 10 में कुल 0.759 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. अनुतोष ख में अंकित किया गया है कि डिक्री इस आश्य की जारी की जावे कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जिला पुर्नवास विभाग, श्रीगंगानगर से प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर दर्ज करवाये गये नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 07 मई, 1990, सन्द संख्या 3667/90 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 तथा इसके आधार पर करवाये गये इन्द्राजात, जमाबन्दी एवं प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गयी 3.00 बीघा कृषि भूमि का कथित बैयनामा जो असल प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जा में है, पेश करवाया जाकर जमाबन्दी के खाता संख्या 5486 एवं इससे सम्बन्धित नामान्तरकरण शुरू से ही शून्य, विधि विरूद्व होने एवं वादीगण के अधिकारों पर बेअसर होने का करार किया जावे. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय किये गये 3.00 बीघा का विक्रय विलेख पंजीबद्व अभिलेख है. इस दस्तावेज को खारिज करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है. राजस्व न्यायालय को नहीं है. राजस्व न्यायालय इस पंजीबद्व दस्तावेज को शून्य घोषित नहीं कर सकता. इसलिये विचाराधीन वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है तथा विधि द्वारा वर्जित है. जिला पुर्नवास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1980 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर जारी सन्द संख्या 3667/1990 को भी रदृ करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है. इस प्रकार वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है. दोनों अनुतोष विधि द्वारा बाधित होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र पोषणीय नहीं है. इस प्रकार जवाब के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

वादी द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 06 अक्तूबर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार वादीगण द्वारा विचाराधीन वाद अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के कथन अंकित करते हुऐ प्रस्तुत किया गया है. अधिकारों की घोषणा का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है. जो हिस्सा विक्रय किया गया है वह प्रतिवादीगण से सम्बन्धित है, तथा पंजीबद्व विक्रय विलेख वादीगण के अधिकारों पर बेअसर तथा प्रभावशून्य है. सन्द के विरूद्व अपील किये बिना ही वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 188, 91 के अन्तर्गत अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के लिये स्वतन्त्र है क्योंकि पूर्व में जो वारिसनामा एवं उस वारिसनामा के आधार पर सन्द संख्या 3667/90 जारी की गयी है, गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवायी गयी है. वादीगण श्री भूराराम

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(... टेक) श्रीगंगानगर

की पुत्री है जिसकी बाबत वादीगण द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओडकी द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में प्रस्तुत की गयी है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणेपरान्त आदेश दिनांक 24 नवम्बर, 2015 द्वारा चूंकि वादीगण द्वारा विचाराधीन वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा की घोषणा करवाकर हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि इस न्यायालय के श्रवणाधिकार से ही सम्बन्धित है. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण के प्रतिवादी संख्या 1 श्री नत्थूराम की मृत्यु हो गयी है जिसके विधिक प्रतिनिधि क्रमशः श्रीमती सन्तोषदेवी पत्नी, श्रीमती मीना पुत्री, सोनू पुत्र, सुश्री पूजा पुत्री, विजय पुत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विधिक प्रतिनिधि नहीं है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मृतक श्री नत्थूराम के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 9 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत करने के परिदृश्य आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या 1 श्री नत्थूराम के विधिक प्रतिनिधि सर्वश्रीमती सन्तोषदेवी पत्नी, श्रीमती मीना पुत्री, सोनू पुत्र, सुश्री पूजा पुत्री, विजय पुत्र को प्रतिवादी संख्या 1 मृतक श्री नत्थूराम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार रारज्यहित को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1.1 से 1.5 एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी कर सरपंच एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट, गवाहों के बयान के आधार पर पारित किया गया है. यह एक न्यायिक आदेश है जिसके विरूद्व किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी इस प्रकार उक्त निर्णय अन्तिम हो चुका है तथा इसी निर्णय के आधार पर आवंटित कृषि भूमि का पंजीकरण हो चुका है. इसी आधार पर सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 जारी की गयी है जिसे भी किसी भी पक्षकार द्वारा चुनौती नहीं दी गयी. इसी आधार पर श्रीमती पन्नीदेवी एावं नत्थूराम के नाम से राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की जा चुकी है. इस प्रकार निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 न तो कूटरचित अभिलेख पर दर्ज किया गया है व न ही शून्य है. जो वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी नहीं है तथा निर्णय पूर्ण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(... ट्रेक) श्रीगंगानगर

रूप से कानूनी मान्यता रखता है. वादीगण का श्री भूराराम की मृत्योपरान्त उक्त कृषि भूमि में 2/5 हिस्सा नहीं बनता व न ही वादीगण हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी हैं. प्रश्नगत कृषि भूमि पर न ही वादीगण का कब्जा है व न ही हिस्सा ठेका ही ले रहे हैं. जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानरगर द्वारा श्री भूराराम की मृत्योपरान्त वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि की बाबत श्री भूराराम के वारिस श्रीमती पन्नीदेवी एवं श्री नत्थूराम को अपने निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 द्वारा घोषित किया गया. जो अन्तिम हो चुका है. निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सन्द संख्या 3767 डी. पी.एक्ट के प्रावधानों द्वारा परित किये गये हैं जो कानूनी मान्यता रखते हैं. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार मालिक हैं जिनके नाम से राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज है. इसलिये विधि अनुसार खातेदार के विरूद्व स्थाई एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है तथा कब्जा के अभाव में वादपत्र पोषणीय नहीं है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में अनुसूचि–15, सरपंच, ग्राम पंचायत, चक 4 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 19 जनवरी, 2016 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 2 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66 वर्तमान 35/29 एवं 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण 2/5 हिस्सा घोषित करवाने तथा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं? ....**वादीगण**

2. क्या जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी हैं? ......**वादीगण**

3. क्या मृतक श्री भूराराम के 2 ही वारिस हैं इसलिये वादीगण किसी भी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं? ......**प्रतिवादीगण**

4. क्या जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नही दिये जाने के परिणामतः आदेश एवं नामान्तरकरण अन्तिम हो चुके हैं? ......**प्रतिवादीगण**

5. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री जूझराम, श्री फूलाराम एवं श्रीमती भगवानी द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र एवं अभीलेख प्रस्तुत किये गये. जिससे जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 09 अक्तूबर, 2017 द्वारा साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 4 मई, 2017 द्वारा अन्तिम अवसर दिये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्रीमती बन्नीदेवी द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये. अभिलेख चक 2 डी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 (प्रदर्श–1), चक 2 डी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069(प्रदर्श–2), नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990(प्रदर्श–3), नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992(प्रदर्श–4), सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5), प्रपत्र–16 (प्रदर्श–6), प्रपत्र–1 (प्रदर्श–7), प्रपत्र–II(प्रदर्श–8), प्रपत्र–III(प्रदर्श–9), नोटिस ऑफ डिमाण्ड(प्रदर्श–10), जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990(प्रदर्श–11), पाठशाला प्रवेशानुज्ञा प्रमाणपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015(प्रदर्श–12ए) प्रदर्श करवाये गये.

अधिवक्तागण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया गया. एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कमशः

2012(3) RLW 2718 Hari Shanksar Sharma vs. Puran Singh & ors.
2012(4) RLW 3050 Rukmani Vs. Bhola & Ors.
2012(3) DNJ 0185 Hari Shanksar Sharma vs. Puran Singh & ors.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 2 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 66 वर्तमान 35/29 एवं 54/86 मुरब्बा नम्बर 43 की 2.404 हैक्टर कृषि भूमि में वादीगण 2/5 हिस्सा घोषित करवाने तथा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं? ....**वादीगण**

जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) पारित किया

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जाकर श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को आवंटित चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि के लिये श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम को बहिस्सा बराबर बराबर वारिस घोषित किया गया. जिसके अनुसरण में ही जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम के संयुक्त नाम पर जारी की गयी है जिसके आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 (प्रदर्श–4) दर्ज किया गया है. वादीगण द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) एवं जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है जबकि विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास) अधिनियम, 1954, भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनयिम निसर अधिनियम, 2005 जो दिनांक 6 सितम्बर, 2005 से प्रभाव में आया है, से री–पील किया गया है. इस प्रकार वादीगण द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सन्द दिनांक 30 अप्रेल, 1990 को चुनौती नहीं दिये जाने के परिणामतः वादीगण विचाराधीन वादपत्र के माध्यम से वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होने के कारण विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 2 – क्या जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सन्द संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख वादीगण के अधिकारों पर निष्प्रभावी हैं? ......**वादीगण**

जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) पारित किया जाकर श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को आवंटित चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि के लिये श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम को बहिस्सा बराबर बराबर वारिस घोषित किया गया. जिसके अनुसरण में ही जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सन्द संख्या 3667 दिनांक

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम के संयुक्त नाम पर जारी की गयी है जिसके आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 (प्रदर्श–4) दर्ज किया गया है. वादीगण द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) एवं जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है जिसके परिणामतः निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सनद दिनांक 30 अप्रेल, 1990 अन्तिम हो चुके हैं जो कि वादीगण के तथाकथित अधिकारों पर किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से निष्प्रभावी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 3 – क्या मृतक श्री भूराराम के 2 ही वारिस हैं इसलिये वादीगण किसी भी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं? ......**प्रतिवादीगण**

जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) पारित किया जाकर श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को आवंटित चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि के लिये श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम को बहिस्सा बराबर बराबर वारिस घोषित किया गया. जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) अन्तिम हो चुका है जिसके अन्तिम रूप से प्रभाव में होने के परिदृश्य सरपंच, ग्राम पंचायत, 4 सी बडी, ओड़की, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 स्वतः ही महत्वहीन हो जाता है. इस प्रकार सक्षम न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) के परिदृश्य वादीगण किसी भी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 4 – क्या जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 52/1990 में पारित आदेश दिनांक 11 अप्रेल, 1990 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 110 दिनांक 17 मई, 1990, सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 एवं नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दिये जाने के परिणामतः आदेश एवं नामान्तरकरण अन्तिम हो चुके हैं?......**प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

भगवानी देवी वगैरा ब. विरुद्ध धर्मता

जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) पारित किया जाकर श्री भूराराम आत्मज श्री गणपतराम को आवंटित चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि के लिये श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम को बहिस्सा बराबर बराबर वारिस घोषित किया गया. जिसके अनुसरण में ही जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) श्रीमती पन्नीदेवी धर्मपत्नी श्री भूराराम एवं श्री नत्थूराम आत्मज श्री भूराराम के संयुक्त नाम पर जारी की गयी है जिसके आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 120 दिनांक 21 मई, 1992 (प्रदर्श–4) दर्ज किया गया है. वादीगण द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा विविध प्रकरण संख्या 522/1990 शीर्षक सरकार बनाम भूराराम अन्तर्गत धारा 76 डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–11) एवं जिला पुर्नवास अधिकारी एवं प्रबन्धक अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के कुल 12.10 बीघा कृषि भूमि की सनद संख्या 3667 दिनांक 30 अप्रेल, 1990 (प्रदर्श–5) को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है जिसके परिणामतः निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सनद दिनांक 30 अप्रेल, 1990 अन्तिम हो चुके हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चित के अनुसार वादीगण द्वारा निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सनद दिनांक 30 अप्रेल, 1990 को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के परिणामतः निर्णय दिनांक 11 अप्रेल, 1990 एवं सनद दिनांक 30 अप्रेल, 1990 अन्तिम हो चुके हैं. ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में, वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है.

।। निर्णय ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 07 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर